न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010041462026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1565/12a/2026

गंगाधर मिश्र, आयु 53 वर्ष पुत्र बृजनाथ मिश्र, निवासी ग्राम बेहड़ा ,थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य। विपक्षी।

अपराध संख्या 253/2026
धारा–115(2), 351(3), 352, 105, 110 भा०द०सं०
व धारा 3(1)(द ध), 3(2)(v), 3(2)(va)
(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
थाना–खैरीघाट, जनपद बहराइच।

27.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त **गंगाधर मिश्र पुत्र बृजनाथ मिश्र**, निवासी ग्राम बेहड़ा, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच की तरफ से अपराध संख्या 253/2026, धारा 115(2), 351(3), 352, 105, 110 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द ध), 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि अभियुक्त उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए प्रार्थी को ढूढ रही है। प्रार्थी अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण न्यायालय श्रीमान जी पर यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दे रहा है। सत्यता यह है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है और वह लेशमात्र दोषी नहीं है क्योंकि वादिनी का पति दुर्गेश गौतम काफी दिनों से हारनिया का रोगी था और दर्द से परेशान रहता था। डाक्टर ने आपरेशन के लिए बोला था तभी कथित घटना के दिन पक्षकारों में कुछ विवाद ई–रिक्शा के किराये को लेकर हुआ था बाद में दिनांक 27.06.2026 को वादिनी के पति रोग से परेशान होकर ताहिरा हास्पिटल एण्ड ट्रामासेन्टर रिंगरोड सेक्टर–10 विकास नगर लखनऊ में भर्ती हुआ और अपने रोग का आपरेशन करवाया बाद में कुछ खून के टूमफेक्शन के कारण पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया तथा उसकी मृत्यु हो गयी। चोटहिल का मेडिकल रिपोर्ट व पी०एम० में कही कोई चोट आना नहीं है बल्कि बीमारी द्वारा मृत्यु दिखाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कई दिन विलम्ब से है और ब दुर्गेश के बीमारी का इलाज शुरू हुआ तब जाकर पैसा लेने की गरज से यह मुकदमा दर्ज करवा दिया। उक्त कथनों के साथ अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5. प्रस्तुत प्रकरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से सम्बन्धित है। धारा 18 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 स्पष्ट रूप से यह प्राविधानित करती है कि "धारा 438 द०प्र०सं० (नई धारा 482 बी.एन.एस.एस.) की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।" इसी प्रकार धारा 18क. (उपधारा 2)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यह प्राविधानित करती है कि "किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी,संहिता की धारा 438 (नई धारा 482 बी.एन.एस.एस.) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।"

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से यह पाया जाता है कि याची/अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना से जुर्म धारा 115(2),351(3),352,105,110 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द ध),3(2)(v),3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत होकर विवेचना जारी है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी दशा में उपरोक्त वर्णित विधिक प्राविधानों के आलोक में प्रश्नगत मामले में धारा 482 बी.एन.एस.एस. के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **गंगाधर मिश्र** द्वारा अपराध संख्या 253/2026, धारा 115(2), 351(3), 352,105,110 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द ध),3(2)(v),3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांकः 27.07.2026 विशेष न्यायाधीश,(एस.सी./एस.टी. एक्ट),बहराइच।